प्रश्न सं. [क्र. 480]

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-2 /2018/13825 भोपाल, दिनांक 24/09/2018

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 6114/पं.रा /निर्माण-आ.मि./2017 दिनांक 04.09.2017 द्वारा जिला पंचायत सीधी के एकल खातें में उपलब्ध राशि से 5 आजीविका भवन निर्माण किये जाने हेतु राशि रूपये 50.00 लाख प्रति भवन के मान से 250.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

2. कलेक्टर जिला सीधी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1083 दिनांक 26.09.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके बैंक खातें में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने से संचालनालय से राशि की मांग की गई है। अतएव पंचायत राज संचालनालय अंतर्गत योजना क्रमांक 4610--अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्व अनुदान मद से राशि रूप ये 250.00 लाख का आवंटन जिला सीधी में 5 आजीविका भवन निर्माण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के एकल खातें में प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. शर्तें :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 04.09.2017 के अनुसार यथावत रहेगी।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेशित)

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/पं.रा./निर्माण-2/2018/13826 भोपाल, दिनांक 24/09/2018

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कलेक्टर जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी की ओर पालनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, वित्त पंचायत राज संचालनालय की ओर अग्रेषित कर लेख है कि राशि रूपये 350.00 लाख मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के एकल खातें में योजना क्रमांक 4610--अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्व अनुदान मद से अंतरित कर की गई कार्यवाही से निर्माण शाखा को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6. ओएसडी माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग सीधी की ओर सूचनार्थ।
8. मेनेजर विभागीय वेबसाईट/पंचायिका।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट "ख"

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755–2555726 फैक्स नं.–0755–2552899 ई–मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक / पं.रा / बजट / पी.डी. / बैंक / 2022–23 / 11007 भोपाल, दिनांक 26 / 07 / 2022

प्रति,

आहरण एवं संवितरण अधिकारी
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र.भोपाल।

विषय :– राज्य स्तरीय पंचायत सशक्तिकरण खातें में जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा जमा की गयी राशि वापस करने बाबत्।

संदर्भः– 1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी का पत्र क्रमांक / 6537, दिनांक 23.08.2021।

2.उप संचालक (निर्माण) की नेमीटीप क्रमांक 10937 ,दिनांक 26.07.2022

— 00 —

म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के क्रमांक / पंचा.राज / वित्त / 2020 / 1978, दिनांक 27.06.2020 के संदर्भ में जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा राज्य स्तरीय पंचायत सशक्तिकरण खातें राशि जमा की गयी हैं। तदानुसार प्राप्त राशि में से वर्तमान में प्रगतिरत कार्यो की स्टाम्प शुल्क मद की राशि 16000000 / – जो त्रुटिवश जमा कर दी गयी है। संदर्भित पत्र से राशि वापसी की मांग की गयी है।

अतः पंचायत राज संचालनालय के राज्य स्तरीय पंचायत सशक्तिकरण खातें के वर्तमान में जमा राशि रूपये 4600637989.00 में से जिला पंचायत सीधी द्वारा त्रुटिवश जमा की गयी स्टाम्प शुल्क मद की **राशि 16000000 / –(राशि रूपये–एक करोड साठ लाख रूपये मात्र)** संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सीधी के बैंक खाता क्रमांक **6424000100057777 (IFSC-PUNB0642400)** में अंतरित करे।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
भोपाल मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / पं.रा / बजट / पी.डी. / बैंक / 2022–23 / 11008 भोपाल, दिनांक 26 / 07 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला–सीधी म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–सीधी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।
4. निज सहायक संचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संयक्त संचालक (निर्माण),पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
भोपाल मध्यप्रदेश

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश